न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 85 / 2023

1 दलीप सिंह
2 धर्मपाल
3 विजयपाल
4 सत्यपाल पुत्रगण महावीर प्रसाद जाति जाट निवासीगण किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विश्वेश्वरलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू हाल निवासी ओजटु, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दिनांक 04.04.2023 दावा उनवानी दलीप वगैरह बनाम स्तपाल वगैरह मु.नं. 120 / 2014

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मदनसिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अशोक लाम्बा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 120/2014 में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 586 वाके ग्राम ओजटु का पेश किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 586 में अपीलार्थीगण की रिहायशी मकान बने हुये है जिसमें अपीलार्थी विजयपाल धनखड़ ने विद्युत कनेक्शन लै रखा था जिसका खाता संख्या 2407/0304 है। रेस्पोडेन्ट विश्वेश्वरलाल आयकर दाता है उसने अपनी सम्पति में खेत में बनाये मकान को अपीलार्थीगण के शामिल में होने की रिटर्न प्रस्तुत किये थे। तहसीलदार ने भूमि के विभाजन प्रस्ताव बनाये उसमें अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विश्वेश्वर का शामलाती मकान बना हुआ है जिसको विभाजन प्रस्ताव में नही दिखलाया। जबकि उक्त काम 25 वर्ष पूर्व सभी भाईयों ने शामलाती में ही बनाया था। कृषि भूमि में आवासीय मकान कृषि भूमि का ही भाग है विभाजन में कुए तथा मकान को शामलाती रखा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गया था विचारण न्यायालय में अपने विभाजन प्रस्ताव में कुए का खसरा नम्बर 586/6 रकबा 0.01 हैक्टेयर डाला है तथा रास्ते का 586/5 रकबा 0.01 हैक्टेयर बनाया है लेकिन पुरे विभाजन प्रस्ताव में कही भी मकान का हवाला नहीं दिया है उक्त मकान में अपीलार्थीगण का 4/5 हिस्सा है। पूर्व में दिनांक 09.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव बने थे उसमें खसरा नम्बर 586/6 रकबा . 11 हैक्टेयर चाह व आबादी दर्शाई गई थी। जिसे डिक्री में नहीं दर्शाया गया है। कुआ संयुक्त काश्तकारी भूमि में बना है जिसमें शामलाती विद्युत कनेक्शन लिया गया था व पुरे खसरा नम्बर 586 की सिंचाई की जा रही थी। रेस्पोडेन्ट विश्वेश्वरदयाल ने दावा डिक्री होने के बाद 586/8 में नई बोरिंग बना ली व विद्युत कनेक्शन उसमें सिफ्ट करने की धमकी देने लगा जिस पर अपीलार्थीगण ने एतराज किया तो रेस्पोडेन्ट पुलिस इमदाद लेकर व संयुक्त विद्युत कनेक्शन को नया बोरिंग में सिफ्ट करवा लिया। अपीलार्थीगण को शामलाती मकान में बेदखल करने की धमकी देने लगे इसलिये अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कराना आवश्यक हो गया। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। वरवक्त बहस अपीलांट ने प्रार्थन पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर दस्तावेज रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दावा वादी अपीलांट का था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.08.2019 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसकी पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 07.02.2023 को वादी अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की है। दिनांक 16.02.2023 को विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आपत्ति खारिज की है तदुपरांत उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

डिक्री पारित की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय में वाद अपीलांट का होने के कारण अब अपील के स्तर पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दावा वादी अपीलांट का था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.08.2019 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसकी पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 07.02.2023 को वादी अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की है। दिनांक 16.02.2023 को विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आपत्ति खारिज की है तदुपरांत उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय में वाद अपीलांट का होने के कारण अब अपील के स्तर पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 6.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर